फा.सं.12/1/2018-प्रशासन
भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

93, संसद भवन,
नई दिल्ली-110001

तारीख: 13.08.2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय के संबंध में जुलाई, 2021 माह के लिए मासिक सार।

मुझे इसके साथ जुलाई, 2021 माह के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय के मासिक सार की प्रति भेजने का निदेश हुआ है।

ह./-
(किरण कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23034467

संलग्नक: यथोपरि

सेवा में

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित:-

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धोलपुर हाऊस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति जी के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उप राष्ट्रपति जी के सचिव, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली।
4. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
5. भारत सरकार के सचिव।
6. संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव/विशेष कार्याधिकारी।
7. संसदीय कार्य राज्य मंत्रियों के निजी सचिव।
8. सचिव/संयुक्त सचिव के निजी सचिव।

<u>भारत सरकार</u>
संसदीय कार्य मंत्रालय

विषय: संसदीय कार्य मंत्रालय का जुलाई, 2021 माह के लिए मासिक सार।

1. संसद में विधायी कार्य

संसदीय कार्य मंत्रालय संसद में सरकारी कार्य के संबंध में संसद के दोनों सदनों और सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम करता है।

17वीं लोक सभा का छठा सत्र और राज्य सभा का 254वां सत्र (मानसून सत्र, 2021) सोमवार, 19 जुलाई, 2021 से आरंभ हुआ।

इस अवधि के दौरान संचालित संसदीय कार्य का विवरण अनुबंध-1 में दिया गया है।

2. <u>सर्वदलीय बैठक</u>

सदन में नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक संसद सत्र की शुरूआत से पहले 18 जुलाई, 2021 को आयोजित की गई जिसमें समापन संबोधन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिया गया।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने संसद में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से 20 जुलाई, 2021 को माननीय प्रधान मंत्री की सम्मान्य उपस्थिति में 'कोविड और टीकाकरण' पर एक प्रस्तुति का भी आयोजन किया था।

3. <u>संसद में आश्वासनों का कार्यान्वयन</u>

मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए समन्वय एजेंसी है कि मंत्रालय, संसद में प्रश्नों का या उन पर अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, संकल्पों और प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान संबंधित मंत्री द्वारा दिए गए अपने आश्वासनों को समय पर पूरा करें। मंत्रालय दोनों सदनों की दैनिक कार्यवाहियों में से मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों को छांटता है और उन्हें अपेक्षित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है। प्रशासनिक मंत्रालयों से आश्वासन की पूर्ति के संबंध में प्राप्त कार्यान्वयन प्रतिवेदनों को संबंधित सदन के पटल पर रखा जाता है।

वर्ष 1956 से जून, 2021 तक लोक सभा के संबंध में कुल 96820 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में कुल 56944 आश्वासन निकाले गए। इनमें से लोक सभा के संबंध में 1698 आश्वासन और राज्य सभा के संबंध में 738 आश्वासन लंबित हैं।

जुलाई, 2021 मास के दौरान, 30 आश्वासन लोक सभा की कार्यवाहियों में से और 20 आश्वासन राज्य सभा की कार्यवाहियों में से निकाले गए।

4. <u>लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत और राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई</u>

लोक सभा के जो सदस्य किसी ऐसे मामले को, जो व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, सदन के ध्यान में लाना चाहते हैं, अध्यक्ष द्वारा उन्हें लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 377 के अंतर्गत मामला उठाने की अनुमति दी जाती है। राज्य सभा में सभापति राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 180ए-ई के अंतर्गत सदस्यों को तत्काल लोक महत्व के मामलों, जिन्हें आमतौर पर विशेष उल्लेख के रूप में जाना जाता है, का उल्लेख करने की अनुमति देते हैं। संसदीय कार्य मंत्रालय दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा उठाए गए ऐसे मामलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है।

जुलाई, 2021 के अंत तक संसद के दोनों सदनों में उठाए गए विभिन्न मामलों और दिए गए उत्तरों की स्थिति:

	लोक सभा में नियम 377 के अंतर्गत उठाए गए मामले	राज्य सभा में विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाए गए मामले
1 जुलाई को लंबित मामले	152	255
माह के दौरान उठाए गए मामले	187	8

जुलाई माह के दौरान प्राप्त उत्तर	49	23
शेष मामले	290	210

5. **<u>परामर्शदात्री समितियों का कार्यचालन</u>**

संसद सदस्यों को सरकार के कार्यचालन की कुछ झलक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों हेतु अनौपचारिक परामर्शदात्री समितियों का गठन पहली बार वर्ष 1954 में किया गया था। इन समितियों की प्रकृति केवल परामर्श देने की है। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालयों के लिए 37 परामर्शदात्री समितियां कार्य कर रही हैं।

जुलाई, 2021 के दौरान –

(क) परामर्शदात्री समितियों की तीन बैठकें आयोजित की गई।

(ख) पैंतीस संसद सदस्यों का नाम उनकी सेवानिवृत्ति/मंत्रिमंडल में शामिल होने के पश्चात विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाया गया।

(ग) एक संसद सदस्य को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति में नामित किया गया।

उपरेक्त से संबंधित विवरण अनुबंध-॥ में दिया गया है।

6. **<u>डिजिटल शासन – ई-ऑफिस का कार्यान्वयन</u>**

इस मंत्रालय को प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा ई-ऑफिस मिशन मोड परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दूसरे चरण में चुना गया था। अक्तूबर, 2013 से, भौतिक (फिजिकल) फाइलों के डिजिटलीकरण के पश्चात, मंत्रालय के अनुभगों को ई-ऑफिस के अंतर्गत लाया गया था।

कर्मचारियों की छुट्टी, सेवा, बिल इत्यादि से संबंधित सभी कार्य ई-ऑफिस के माध्यम से किए जा रहे हैं। इससे मंत्रालय को और कुशल बनने, कागज का अपेक्षताकृत कम प्रयोग करने, नियम आधारित फाइल रूटिंग, फाइलों और कार्यालय आदेशों की त्वरित खोज और पुन:प्राप्ति में सहायता मिली है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने इस मंत्रालय को ई-ऑफिस के कार्यान्वयन में दर्शाए गए सराहनीय निष्पादन हेतु पुरस्कृत किया है।

जुलाई, 2021 के दौरान अधिकतर कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में किया गया और 2430 इलेक्ट्रॉनिक फाइलें प्रस्तुत की गई।

7. **<u>युवा संसद योजनाओं के माध्यम से युवाओं को प्रोत्साहित करना</u>**

जुलाई, 2021 मास के दौरान

(क) राष्ट्रीय युवा संसद स्कीमों में प्रतिभागिता हेतु 315 विद्यालयों के पंजीकरणों की समीक्षा की गई और इनमें से 35 विद्यालयों के पंजीकरणों को अनुमोदित किया गया।

(ख) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए 23वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता, 2019-20 का परिणाम घोषित किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय, अल्लेपी, केरल (हैदराबाद क्षेत्र) ने प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

8. **राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा): एक राष्ट्र – एक एप्लिकेशन**

नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कामकाज को कागज रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, और पब्लिक पोर्टल पर अनुमत सामग्री को रियल टाइम में प्रकाशित करना है। नेवा वेब आधारित और एप्लिकेशन आधारित (एन्ड्राएड और आईओएस दोनों) दोनों प्लेटफार्मों पर राष्ट्रीय और राज्य विधानमंडलों के लिए एक समान प्रारूप में कार्य करती है।

विभिन्न राज्यों ने नेवा, डिजिटल विधानमंडल की परियोजना को अपनाया है और इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। विधानमंडलों के कार्मिकों के क्षमता निर्माण हेतु ज्ञान अंतरण के एकमात्र प्रयोजन के साथ केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू), नेवा ने संबंधित विधानसभा/परिषद/राज्य एनआईसी के सहयोग से प्रशिक्षण/कार्यशाला शुरू कर दी हैं।

जुलाई, 2021 माह तक, नेवा के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन पर 17 राज्यों (18 सदनों) के साथ हस्ताक्षर किए जा चुके हैं जिनमें बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), पंजाब, ओडिशा, मेघालय, मणिपुर, गुजरात, अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, पुदुचेरी, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मिजोरम शामिल हैं। नेवा परियोजना की मंजूरी के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 11 राज्यों (12 सदनों) द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी है जिनमें पंजाब, ओडिशा, बिहार (विधानसभा और परिषद दोनों), नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, तमिलनाडु, अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और हरियाणा शामिल हैं जिनमें से पहले 7 राज्यों (8 सदनों) को नेवा के कार्यान्वयन के लिए पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है।

जुलाई, 2021 मास के दौरान -

(i) कर्नाटक विधानसभा के लिए 6-7 जुलाई, 2021 को आभासी माध्यम से चार दिन (2 सत्र) का एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया। बैठक में कर्नाटक विधानसभा के अधिकारियों को नेवा सॉफ्टवेयर के विभिन्न मॉड्यूल्स के बारे में प्रशिक्षण दिया गया जिसमें उनकी शंकाओं का निवारण करना भी शामिल था।

(ii) बिहार विधान परिषद ने जुलाई, 2021 में अपने बजट सत्र के दौरान नेवा साफ्टवेयर का उपयोग किया। बजट सत्र के सफल संचालन के लिए सीपीएमयू नेवा टीम द्वारा बिहार विधान परिषद को सक्रिय सहयोग प्रदान किया गया। नेवा साफ्टवेयर के कार्यान्वयन को शुरू कर चुके विभिन्न राज्य विधानमंडलों को भी टेलीफोन और आभासी माध्यम से सक्रिय सहायता प्रदान की गई।

(iii) नेवा साफ्टवेयर में कुछ नई विशेषताएं जोड़ी गई और उनका परीक्षण किया गया। मतदान करने की एक खास विशेषता प्रश्न संसाधन मॉड्यूल में सफलतापूर्वक शामिल की गई। इसके अलावा, रिपोर्टर मॉड्यूल को पूरा किया गया और यह अब नेवा का एक हिस्सा है। नेवा मोबाइल एप्लिकेशन में सुधार हेतु जरूरी कार्य प्रगति पर है।

8. सोशल मीडिया

सोशल मीडिया सूचना साझा करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक उभरता हुआ मंच है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर पंजीकृत अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहल की है।

कुल 1780 ट्वीट्स के साथ, मंत्रालय के ट्विटर हैंडल https://twitter.com/mpa.india के अनुयायियों (फोलोअर्स) की संख्या 5291 और फेसबुक के फोलोअर्स की संख्या 38509 हो गई है।

*****

अनुबंध-I

17वीं लोक सभा के छठे सत्र और राज्य सभा के 254वें सत्र (जुलाई, 2021) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I – लोक सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021
2. आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021
3. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
4. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021
5. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
6. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2021
7. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और संलग्न क्षेत्रों में वायु क्वालिटी प्रबंध के लिए आयोग विधेयक, 2021
8. साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021

II – राज्य सभा में पुर:स्थापित किए गए विधेयक

1. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021
2. सीमित दायित्व भागीदारी (संशोधन) विधेयक, 2021
3. निक्षेप बीमा और प्रत्यक्ष गारंटी निगम (संशोधन) विधेयक, 2021

III – लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2020
2. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021
3. दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021
4. विनियोग (संख्यांक 4) विधेयक, 2021
5. विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2021
6. भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2021
7. अन्तर्देशीय जलयान विधेयक, 2021

IV – राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
2. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
3. फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021
4. नारियल विकास बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2021

V - संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक, 2021
2. नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021
3. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2021
4. फेक्टर विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2021

VI. राज्य सभा में वापस लिया गया विधेयक

1. स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) संशोधन विधेयक, 2012

अनुबंध-II

जुलाई, 2021 के दौरान आयोजित विभिन्न परामर्शदात्री समितियों की बैठकों का विवरण

क्र.सं.	दिन, तारीख और समय	मंत्रालय	विषय	स्थान/अभ्युक्ति
1	गुरूवार, 1 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 11.00 बजे	कोयला और खान	(i) कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन तक पहुंचना (कोयला मंत्रालय) (ii) खदानों से प्रभावित परिवारों के जीवनयापन को सुधारने में डिस्ट्रीक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) की भूमिका (खान मंत्रालय)	समिति कक्ष 53, संसद भवन, नई दिल्ली
2	मंगलवार, 13 जुलाई, 2021 को सांय 6.00 बजे	वाणिज्य और उद्योग	कोविड पश्चात विश्व में व्यापार – नीति और संवर्धन।	समिति कक्ष 'डी' संसदीय सौध, नई दिल्ली
3	शुक्रवार, 23 जुलाई, 2021 को पूर्वाह्न 9.30 बजे	रक्षा	डीआरडीओ कार्यक्रम	समिति कक्ष 'ख' संसदीय सौध, नई दिल्ली

जुलाई, 2021 मास के दौरान विभिन्न परामर्शदात्री समितियों में नामित किए गए संसद सदस्यों का विवरण

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	उस परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित किया है	अभ्युक्तियां
1	श्री मद्दीला गुरूमूर्ति, संसद सदस्य (लोक सभा)	कौशल विकास और उद्यमिता	12.07.2021 को नामित किया गया

उन संसद सदस्यों का विवरण जिनके नाम उनकी मृत्यु/सेवानिवृत्ति के बाद विभिन्न परामर्शदात्री समितियों से हटाए गए

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	उस परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित थे	कारण
1	श्री वयालार रवि, संसद सदस्य (राज्य सभा)	वाणिज्य और उद्योग	21.04.2021 को सेवानिवृत्त
2	श्री के.के. रागेश, संसद सदस्य (राज्य सभा)	वित्त मंत्रालय	21.04.2021 को सेवानिवृत्त

जुलाई, 2021 के दौरान मंत्रिमंडल में विभागों के पुन:आबंटन के पश्चात, अभी तक परामर्शदात्री समितियों के सदस्य रहे नीचे उल्लिखित संसद सदस्यों ने कैबिनेट मंत्री का कार्यभर संभाला है

क्र.सं.	संसद सदस्य का नाम	उस परामर्शदात्री समिति का नाम जिस पर नामित थे	सदन	कार्यभार
1	श्री नारायण तातू राणे	युवा कार्य और खेल मंत्रालय	राज्य सभा	कैबिनेट मंत्री
2	डॉ. वीरेंद्र कुमार	महिला और बाल विकास मंत्रालय	लोक सभा	कैबिनेट मंत्री
3	श्री अश्विनी वैष्णव	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	राज्य सभा	कैबिनेट मंत्री
4	श्री पशुपति कुमार पारस	रेल मंत्रालय	लोक सभा	कैबिनेट मंत्री
5	श्री भूपेंद्र यादव	वित्त मंत्रालय	राज्य सभा	कैबिनेट मंत्री
6	श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह	गृह मंत्रालय	राज्य सभा	कैबिनेट मंत्री
7	श्री पंकज चौधरी	ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
8	श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
9	श्री राजीव चंद्रशेखर	इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्रालय	राज्य सभा	राज्य मंत्री
10	सुश्री शोभा कारान्दलाजे	महिला और बाल विकास मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
11	श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	रक्षा मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
12	श्रीमती मीनाक्षी लेखी	रक्षा मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
13	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
14	श्री ए. नारायणस्वामी	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
15	श्री कौशल किशोर	शिक्षा मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
16	श्री अजय भट्ट	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
17	श्री बी. एल. वर्मा	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	राज्य सभा	राज्य मंत्री
18	श्री देवूसिंह चौहान	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
19	श्री भगवंत खुबा	रेल मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
20	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	वस्त्र मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
21	सुश्री प्रतिमा भौमिक	रेल मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
22	डॉ. सुभाष सरकार	विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
23	डॉ. भागवत किशनराव कराड	विद्युत तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	राज्य सभा	राज्य मंत्री
24	डॉ. राजकुमार रंजन सिंह	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
25	डॉ. भारती प्रवीण पवार	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
26	श्री बिश्वेश्वर टुडु	संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
27	श्री शांतनु ठाकुर	ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
28	श्री जॉन बारला	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
29	श्री निसिथ प्रामाणिक	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
30	डॉ. सत्यपाल सिंह बघेल	उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
31	डॉ. महेन्द्रभाई कालूभाई मुंजपरा	संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
32	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	विदेश मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री
33	श्री अजय मिश्रा टेनी	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	लोक सभा	राज्य मंत्री